# न्यायालय संभागीय आयुक्त जयपुर

**अपील** जीसीएमएस संख्या 2024/407

1. वासिद पुत्र श्री मेहबूब आयु 28 वर्ष निवासी–पलडी मुजफफर नगर उत्तरप्रदेश।

–अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक।

–रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध आज्ञा जिला कलक्टर जयपुर प्रकरण संख्या 154/2024 उनवानी सरकार बनाम शहनबाज व अन्य दिनांक 05.08.2024

**उपस्थित–**

1. श्री शफीक खान वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल वकील रेस्पो0 1 की ओर से।

## निर्णय

दिनांक–30.08.2024

1. यह अपील जिला कलक्टर जयपुरके प्रकरण संख्या 154/2024 (राज0 गो वंशीय पशु अधिनियम 1995) उनवानी सरकार जरिये एस.एच.ओ. दोलतपुरा बनाम शहनबाज व अन्य में निर्णय दिनांक 05.08.2024 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।

2. जिला कलक्टर जयपुरके उक्त निर्णय दिनांक 05.08.2024 से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय जिला कलक्टर जयपुर दिनांक 05.08.2024 निरस्त कर जब्तशुदा गौवंश को सुपुर्दगी पर दिये जाने की प्रार्थना की।

3. अपील प्रस्तुत होने पर उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस, बहस एडमिशन पर सुनी गई।

4. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि पुलिस द्वारा दर्ज एफ.आई.आर मे पुलिस ने जब्तशुदा 11 गाय व 3 बछडे कुल 14 गौवंश की तस्करी होना माना है जबकि अपीलार्थी द्वारा उक्त समस्त दुधारू गाय व गौवंश को अपने दूध के काम हेतु खरीद किया था जो प्रार्थी द्वारा पशु पैंठ गाम बपारसी, शामली, करनाल रोड नेशनल हाइवे 709 ए जिला मेरठ उत्तर प्रदेश से खरीद की गई थी जिसके समस्त बिल व दस्तावेजात् प्रार्थी के पास उपलब्ध है। उक्त समस्त दस्तावेजात् को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। वर्तमान में उक्त 14 गौवंश राधे रानी गौशाला बिलौची में है। जिनमें से दुधारू गाय व गौवंश की समुचित देखभाल रेखरखाव व आहार ना मिलने के कारण 5 गायें अब तक मर चुकी हैं एवं शेष शारीरिक रूप से अत्यधिक कमजोर हो चुकी है। जिस कारण से बची हुई दुधारू गाय व गौवंश के जीवन को बचाने

संभागीय आयुक्त
जयपुर

हेतु प्रार्थी को उसके गौवंश सुपुर्दगी पर दिया जाना न्यायहित में अत्यन्त आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन सभी तथ्यो पर गौर किये बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर 05.08.2024 निरस्त कर जब्तशुदा गौवंश को सुपुर्दगी पर दिये जाने की प्रार्थना की।

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थी का कन्टैनर दुधाय गाय व गौवंश से भरा हुआ पकडा गया जो कि रस्सीयों से बंधे हुये थे। पुलिस द्वारा दर्ज एफ.आई.आर मे पुलिस ने जब्तशुदा 11 गाय व 3 बछडे कुल 14 गौवंश की तस्करी होना माना है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों की जॉच एवं उचित अवलोकन के पश्चात् ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

6. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि अपीलार्थी द्वारा दौराने जॉच एवं सुनवाई गौवंश को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते समय प्रवजन के लिए परमिट या निर्यात के लिए विधिमान्य विशेष परमिट पेश नहीं किया गया है जो कि राजस्थान गौ वंशीय पशु (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनिमयन) नियम 1955 का नियम 7 का उल्लंखन है जिसके अनुसारगौवंश को एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाते समय प्रवजन के लिए परमिट या निर्यात के लिए विधिमान्य विशेष परमिट की आवश्यकता होती हैं एवं थानाधिकारी पुलिस थाना दौलतपुरा द्वारा अपीलार्थी के कब्जे से बिना परमिट अवैध रूप से परिवहन किये जा रहे गौवंश को जब्त कर राधेरानी गौशाला बिलौची को सुपुर्दगी में दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर द्वारा उपरोक्त सभी तथ्यों की जॉच व अवलोकन उपरान्त ही अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र को खारिज किये जाने के आदेश दिये गये हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश जिला कलक्टर जयपुर उचित एवं विधिसम्यक है। अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार की त्रुटि जाहिर नहीं होती है। इसमें हस्तक्षेप किया जाना हम उचित नहीं समक्षते हैं।

**अतः आदेश है कि**: अपील अपीलांट बहस एडमिशन के स्तर पर ही निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर जयपुर का निर्णय दिनांक 05.08.2024यथावत रखा जाता है।

(डॉ. आरूषी मलिक)
संभागीय आयुक्त,
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 30.08.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

संभागीय आयुक्त,
जयपुर।